न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019(पत्थर गड्डी)

दिलीप सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह राजपूत निवासी चिराना तहसील नवगलढ जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान

–प्रार्थी /आवेदक

वनाम

1. अंजू कवंर पुत्री गुलाब सिंह
2. प्रतिभा कंवर पुत्री गुलाब सिंह
3. सविता कंवर पुत्री गुलाब सिंह
4. अजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह
5. भंवर कंवर पत्नी गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।
6. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

–अप्रार्थी/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधि0 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 01.07.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज. की तन में भूमि खाता संख्या 378 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.10है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा है तथा अनावेदक/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/10–1/10 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्जशुदा है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त व काबिज है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.10है0 में अपने हिस्से 1/2 पर काबिज है तथा प्रार्थी की भूमि के पडौस में सहखातेदार अनावेदकगण की भूमि की सीमा स्थित है जो आये दिन क्षति पंहुचाते है सीमा को काटते है सीमा को लेकर विवाद करते है। जिससे मौके पर शांतिभंग होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.10है0 में अपने हिस्से 1/2 की भूमि की पत्थरगड्डी सीमाज्ञान करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02 खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.10है0 में प्रार्थी के हिस्से 1/2 के कब्जे के अनुसार सीमाज्ञान करवा चुका है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। अतः बहस पक्षकारान सुनी गई जिसमे अनावेदक को पत्थरगड्डी पर कोई एतराज नही है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना की जमांबदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.10है0 की खातेदारी अंजूकंवर पुत्री गुलाबसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत, अजयसिंह पुत्री गुलाबसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत, दिलीपसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा1/2 जाति राजपूत राहिन हिस्सा 1/2 बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा चिराना मूर्तहीन, प्रतिभा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कवंर पुत्री गुलाबसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत भवरकंवर पत्नी गुलाबसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत, सविताकवंर पुत्री गुलाबसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवगलढ की ओर नायब तहसीलदार नवलगढ ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि पक्षकार सहमत होने पर भूमि की पत्थरगड़डी करने पर कोई आपती नही है।

इस संबधं में प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बागोरिया की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.10है0 का सीमाज्ञान प्रार्थी व उनके परिजनों की उपस्थिति में मौके का सीमा ज्ञान किया गया। चूंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक अपनी काश्त भूमि की पत्थरगड़डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरिया की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 755 रकबा 5.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.10है0 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आवागमन का प्रचलित रास्ता/सडक इस आदेश से बाधित नही होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही न्यायालय दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner